

03/02/21

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद का निस्तारण होने  
के कारण प्रा० पत्र 212 RTA औचित्यहीन है  
अतः प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दायित्व  
दफ्तर होकर न. से कम हो।

